



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243847
CG-DL-E-23022023-243847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]
No. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद् प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-11/13452-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, अम्बाजी नर्सिंग कॉलेज, मेहसाणा- अहमदाबाद राजमार्ग, गणेशपुरा, तहसील कादी, जिला मेहसाणा – 382705, गुजरात, गुजरात राज्य सरकार और गुजरात नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, आयुक्त (स्वास्थ्य) एवं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और पदेन सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ब्लॉक न. – 05, प्रथम तल पुराना सचिवालय, डॉ. जीवराज भवन, सेक्टर नं. 10, गांधीनगर – 382010, गुजरात को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-11/13452-आईएनसी/8147 दिनांक 28/02/2022 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 28/02/2022 की एक प्रति अम्बाजी नर्सिंग कॉलेज, मेहसाणा- अहमदाबाद राजमार्ग, गणेशपुरा, तहसील कादी, जिला मेहसाणा – 382705, गुजरात को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, अम्बाजी नर्सिंग कॉलेज के मामले में परिषद् राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है। यहाँ तक कि अम्बाजी नर्सिंग कॉलेज ने भी जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 02/06/2021 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां। ये गंभीर कमियां हैं जो बताती हैं कि संस्थान जीएनएम कोर्स चलाने में असमर्थ है।

अतः इसलिए, भारतीय उपचर्या परिषद् धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि 30/05/2022 से आगे **अम्बाजी नर्सिंग कॉलेज, मेहसाणा- अहमदाबाद राजमार्ग, गणेशपुरा, तहसील कादी, जिला मेहसाणा – 382705, गुजरात** से **जीएनएम** की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति **गुजरात राज्य सरकार** के आदेशों के अधीन केवल **गुजरात** राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./629/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-11/13452-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Ambaji Nursing College** situated at **Mehsana – Ahmedabad Highway, At – Ganeshpura, Takadi, Distt. Mehsana - 382705, Gujarat** is recognized by State Government of Gujarat and Gujarat Nursing Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-11/13452-INC/8147 dated 28/02/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to The Commissioner (Health), & Ex-Officio Secretary (Public Health & Family Welfare), Block No. – 05, 01st Floor Old Sachiwalay, Dr. Jivraj Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar – 382010, Gujarat was issued. Copy of the notice dated 28/02/2022 was also enclosed to **Ambaji Nursing College** situated at **Mehsana – Ahmedabad Highway, At – Ganeshpura, Takadi, Distt. Mehsana - 382705, Gujarat**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Ambaji Nursing College**. Even the institution **Ambaji Nursing College** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 02/06/2021 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 30/05/2022 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **Ambaji Nursing College** situated at **Mehsana – Ahmedabad Highway, At – Ganeshpura, Takadi, Distt. Mehsana - 382705, Gujarat** shall be entitled to be registered only in the State of **Gujarat** subject to the orders of State government of Gujarat.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./629/2022-23]